



# भारतीय हॉकी टीम ने फिर जीता कॉस्य पदक

**पेरिस।** हरमनप्रीत सिंह की अगुआई वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक अपने नाम किया। 52 साल बाद भारतीय टीम ने लगातार दो ओलंपिक में पदक अपने नाम किया है। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी टीम कांसा लाने में सफल रही थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल किए और भारत को स्पेन के खिलाफ बढ़त दिलाई जो अंत में निर्णायक साबित हुई। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता था और अब लगातार दूसरी बार टीम पोडियम फिनिश करने में सफल रही है। भारत के अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश का यह

**प्रधानमंत्री ने दी बधाई**

भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने बधाई दी। पीएम मोदी ने एकस पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि, एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीछड़ियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में चमकी, कांस्य पदक जीता। ये और भी खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने अत्यधिक धैर्य दिखाया। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीयों का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी।

**भूपेन्द्र हुड़ा बोले, विनेश को  
राज्यसभा भेजा जाना चाहिए**



शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इसके पीछे साजिश का संकेत दिया है और उसके कुछ नेताओं ने मांग की है कि पहलवान को राज्यसभा में मनोनीत किया जाना चाहिए। इसके बाद, विनेश की बहन बबीता फोगट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई कांग्रेस से सीखे कि आपदा में राजनीतिक अवसर कैसे तलाशे जाते हैं। यह बयान कांग्रेस संसद दीपेंद्र हुड़ा और उनके पिता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड़ा द्वारा यह कहे जाने के बाद आया है कि विनेश फोगट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाना चाहिए और कहा कि यदि पार्टी के पास राज्य विधानसभा में संख्या बल होता तो वह अब तक ऐसा कर चुकी होती। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बबीता फोगट ने एक्स (पूर्व में टिक्टिकर) पर पोस्ट किया, आपदा में राजनीतिक अवसर ढूँढ़ना कोई कांग्रेस से सीखें। एक तरफ देश और विनेश ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।

## लगातार बदल रही बांग्लादेश में स्थिति



नई दिल्ली। बांगलादेश की वर्तमान स्थिति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत में होने के खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री जयशंकर ने साप्त तौर पर बताया कि शॉर्ट नोटिस पर शेख हसीना भारत पहुंची थीं। ऐसे में फिलहाल इससे ज्यादा जानकारी अभी नहीं दी जा सकते। अल्पसंख्यकों पर हो रही अत्याचार पर देश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी नजर है। विदेश मंत्री ने इस पर संसद में भवित्व बयान दिया है। हम लगातार इसको लेकर कई कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बांगलादेश में जल्दी से जल्द कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की कामना कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हर सरकार के जिम्मेदारी है कि अपने लोगों का ध्यान रखें। उन्वें हित में काम करें। लेकिन कितनी क्षिति हुई है इसके जानकारी या आंकड़े हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों की सुरक्षा को लेकर हमारे वह के अधिकारियों से बातचीत चल रही है।

## ਮोहम्मद यूनुस बने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख



लो। बगभवन में आयोजित किए गए शपथ ग्रहण समारोह में मोहम्मद यूनुस समेत अंतरिम सरकार के सभी सदस्यों को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुख्यिया चुना गया था। अब उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रो. मोहम्मद यूनुस ने कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। पेरिस से ढाका लौटने के बाद हवाईअड़े पर यूनुस का सेना प्रमुख वकार उज जमां, वरिष्ठ अधिकारियों और छात्र नेताओं ने स्वागत किया था। इस दौरान उन्होंने कहा, उनकी सरकार का पहला काम कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाना, अव्यवस्था को नियंत्रित करना और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकना होगा।

**मंदिरों-मठों को लेकर बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला**



ऑनलाइन लिस्टिंग के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को अपनी अचल संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। बीएसबीआरटी राज्य के कानून विभाग के अधीन कार्य करता है। इस मामले पर बोलते हुए, बिहार के कानून मंत्री नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा- सभी जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि अपंजीकृत मंदिरों मठों और द्रस्टों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण किया जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत मंदिरों और मठों की अचल संपत्तियों का व्यौरा ऑनलाइन प्रकाशन के लिए बीएसबीआरटी को तुरंत प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने हाल ही में इस संबंध में सभी डीएम को एक पत्र भेजा है। अभी तक केवल 18 जिलों ने बीएसबीआरटी को डेटा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए।

**फ्रंटलाईन मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर छापा भारत का गलत नवशा**



अगस्त विश्व मलनिवासी दिवस पर विशेष

# भारत में तो सभी हैं मूल निवासी!

गिरीश पंकज संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त, 1982 को विश्व मूलनिवासी दिवस घोषित किया है। तब से प्रतिवर्ष 9 दिवस मनाया जाता है। निःसंदेह हम इस दिवस मनाया चाहिए। दुनिया में भी मूल निवासी हैं, उनका उत्तरयन होता है, इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। लेकिन इस दिवस को बनकर एक महत्वपूर्ण बात कही जाती है, वह बेहद विचारणीय है। भारत के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है की भारत में रहने वाले सभी लोग मूल निवासी हैं। लेकिन कुछ लोग यह अपराम फैलाने की कोशिश करते हैं कि भारत में आदिवासी आज जनजातीय या अन्य पछडे वर्ग के लोग हैं, वही मूल निवासी हैं, बाकी लोग हैं, जिन्हें हैं यादी लात्व से आये हुए। इनमें ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय शामिल हैं। यह दुप्रचार एक तरह से सामजिक अलगाव पैदा करने वाला है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में 2007 में आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट किया था कि 9% भारत देश में सभी मूल निवासी हैं 9%। दरअसल 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाये जाने के पीछे एक बड़ा कारण है। उसको भी समझना ज़रूरी है। इटेलियन नाविक कोलंबस भारत की खोज में निकला था लेकिन भटक कर वह अमेरिका पहुँच गया। वह तारीख 9 अगस्त ही थी। वहां पहुँचने के बाद उसने वहाँ के मूल निवासियों के साथ अत्याचार किए। अनेक मूल निवासी महिलाओं को अपने कब्जे में ले लिया, फिर उन्हें वेनिस के बाजार में बेच भी दिया। अनेक

लोगों की उसने हत्याएँ की। उसकी वर्बरता को लोग भूल गए, बस यही याद रहा कि कोलंबस ने अमरीका की खोज की, इसलिए अमरीकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 8 अक्टूबर 1993 में कोलंबस डे मनाने की तिथि घोषणा कर दी थी। इस दिन अवकाश भी घोषित कर दिया। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 9 अगस्त को पूलनिवासी दिवस मनाने की घोषणा कर कर दी। कायदे से तो इस दिन को नरसंहार दिवस के रूप में याद किया जाना चाहिए, भारत में इस दिवस को मनाने का कोई विशेष औचित्य नहीं क्योंकि यहां जिनको हम मूल निवासी के रूप में चिन्हित करते हैं यानी जनजातीय बंधुओं को, उनके उन्नयन हेतु सरकार हर सम्भव कार्य कर रही है। आज भी बनपांत में उन्हें बाले बनवासी बंधुओं लाभकारी योजना जनजातीय बंधु अस्वेक्षा से बचने में क्योंकि उन्हें प्राकृत है। वे शहरों में 3 चाहते लेकिन अनेक आ रहे हैं। आ लेकर वे सरकारी रहे हैं। जो लोग से निकल कर शहर लगे, उन्हें यह समझ से आकर यहां बसे हैं। आर्य बाहर वामपंथी दुष्प्रचार आर्य भी भारत के आर्य यानी हिन्दू की वर्ण व्यवस्था क्षत्रिय और शूद्र चिन्ह गड़े हैं ये कोई जाए

के लिए अनेक ऐसी जारी हैं। यही पनी सुविधा और निवास करते हैं तिक जीवन पसंद कर रहना नहीं कल लोग धीरे-धीरे रक्षण का लाभ नौकरी भी कर पदियों पहले बनो रों के आकर रहने इनका कि वे विदेश में, गलत स्थापना से आए, यह वर्षों पुराना है। मूल निवासी है। सनातनी भारत में ब्राह्मण, वैश्य, वरकाल से ही रह तेयां नई थी वर्षा काम की प्रकृति के अनुसार यह व्यवस्था बन गई। हमारे यहां तो कहा ही गया है कि हर पैदा होने वाला व्यक्ति शूद्र ही है, बाद में वह अपने कर्मों के हिसाब से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र बनता है। जन्मना जयते शूद्रः कर्मणा द्विज उच्यते। जिस मनु स्मृति की निंदा की जाती है। मनु स्मृति में ही यह लिखा हुआ है, जहां स्त्री की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। खैर, विषयांतर हो जाएगा। महत्वपूर्ण है मूल निवासी पर विर्मश, जिसे लेकर समाज में ध्रम फैलाने की कोशिश लगातार हो रही है। जनजातीय बंधुओं के बीच यह बात रखने का प्रयास होता है कि आप लोग ही मूल निवासी हैं आपसे इतर जो भी है, वे विदेशी हैं। कुछ लोगों के मन में यह बताए गए कर

गई है इसलिए कभी-कभी संघर्ष की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसे हवा देने वाले लोग अराजक ही कहे जाएंगे। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि भारत सहित अनेक देशों में बनवासी बंधु निवास करते हैं, मगर वे मुख्यधारा से आज भी कटे हुए हैं। उन पर ध्यान देना ही चाहिए, भारत में देखें तो दस करोड़ से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड प्रांत में इनकी संख्या काफी है। सर्वाधिक संख्या मध्यप्रदेश में है। डेढ़ करोड़ से अधिक। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग पौने तीन करोड़ है और यहाँ आदिवासी लगभग नब्बे लाख हैं। यानी आबादी का कुल चाँतीस प्रतिशत। ये लोग आज भी बस्तु संग्रहा गयगढ़ और कवर्धा, गढ़वाल के सुरु वरनों इनकी सुध त इनके लिए लागू की गई स्वास्थ्य, और समुचित व्यवस्था अन्य राज्यों में मणिपुर में जनजातियों के लेकर संघर्ष दिवस पर य आवश्यकता है। जातियों के बाद दोनों के साथ दिवस का लक्ष्य में आदिवासी सम्मान का भ समझा जा सकता है।

रियाबंद आदि क्षेत्रों में निवास करते हैं। लेने की ज़रूरत है। अनेक योजनाएँ भी इसके लिए हैं। इनकी शिक्षा, आवास आदि की स्थापना हमारा कर्तव्य है। मैं भी आदिवासी हूँ। कुकी और मैतैरी की बीच अधिकारों को जारी है। मूल निवासी हम संकल्प लेने की इच्छा है कि इन दोनों जन गणीय सुलह हो। और यथा न्याय हो। यही इस यहोना चाहिए। भारत की बंधुओं के प्रति आप तो इसी बात से जुता है कि इस देश की आदिवासी महिला

# छत्तीसगढ़

## एसईसीएल कुसमुंडा खदान के करीब पहुंचा दंतेल हाथी

■ महिला पर किया हमला; इलाज के दौरान हुई मौत

कोरबा। एक दंतेल हाथी जंगल से भटक गांव के मुख्य मार्ग पर जा पहुंचा जहां एसईसीएल कुसमुंडा खदान के करीब तक जा पहुंचा है। फहली बार ऐसा हुआ है कि हाथी शहर की इन्हें करीब मुख्य मार्ग तक जा पहुंचा। जहां हाथी गांव के अंदर गली में घृतमा हुआ नजर आ रहा है। सुबह मासिनग वांक पर निकली ग्रामीण महिला गायत्री बाई पर हमला कर दिया और वे गंधीर रूप से घायल हो गई। जहां गायत्री के परिजन उसे तकाल लेकर निजी अस्पताल पहुंचे जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया।

बताया जा रहा है कि दंतेल हाथी तड़के सुबह जांगीर-चांपा जिले के पंतोरा जंगल



से कोरबा के नराईबोध आमगांव रुलिया पहुंचा। जहां नराईबोध निवासी घायल गायत्री के नाती अमोत कुमार ने बताया कि उसकी दादी रोज की तरह गुरुवा की सुबह मासिनग वांक करने निकली हुई थीं। इस दौरान अचानक हाथी पीछे से अकर उनपर हमला कर दिया और वह बेहाशी

करते नजर आए। कोई अपने मोबाइल में वीडियो बना रहा था तो कई लोग उसे खेड़ेने के लिए उसके करीब जा रहे थे। जिस वजह से हाथी गुस्से में इधर-उधर भाग रहा था।

बहीं, हाथी गांव में पहुंचने की सूचना पर बन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

हालत में पड़ी हुई थी। ग्रामीण सूचना पर मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल लेकर गए।

ग्रामीणों ने बताया कि हाथी की आने की सूचना के बाद लोग दहशत में हैं। बहीं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहीं, कई लोग हाथी के साथ छेड़ाड़

करते नजर आए। कोई अपने मोबाइल में

पहुंचे और वन कर्मियों को दिखा निर्देश दिया गया ताकि हाथी शहर की ओर प्रवेश न कर सके। उसे रेस्क्यू कर जंगल की ओर खेड़ेने का प्रयास किया गया। वन विभाग की टीम हाथी पर निगरानी रखी हुई है। नराईबोध गेवरा बस्ती व आसपास के गांव में लोगों में दहशत का माहौल बन गया है।

## डोलोमाइट खदान के लिए बिना जनसुनवाई किए दी अनुमति

■ बिफरे ग्रामीण पहुंचे जिला कार्यालय

सक्ती। सक्ती में डोलोमाइट पथर खदान की अनुमति देने का मामला फिर गरम हो गया है। विरोध के बाद भी अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिलने से नारज ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां सक्ती के डुमरपारा गांव में खुलने वाले डोलोमाइट पथर खदान के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठाई। अधिकारियों ने ग्रामीणों को बुन: जनसुनवाई करने का आशासन दिया है। दरअसल, 15 दिन पूर्व सक्ती जिले के डुमरपारा गांव में डोलोमाइट पथर खदान खोलने की अनुमति के लिए जनसुनवाई रखी गई थी, लेकिन पहल नहीं हो रही है। ऐसे में बिना जनसुनवाई कराए ही पथर खदान खोलने की अनुमति देने की आशासन अधिकारियों से जनसुनवाई खत्म कर चलते बने। इस बात की भवित्वता ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पथर खदान के विरोध में नारेबाजी की।

## भारी बारिश के कारण जर्जर मकान हुए धराशायी

### लोगों के सिर पर मंडरा रहा है खतरा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर।

एमसीबी जिले के चिरमिरी भरतपुर और सोनामपी नेहरू कॉलोनी में एसईसीएल ने कर्मचारियों के लिए दो से तीन मंजिल मकान बनवाएं थे। जिसमें एसईसीएल में काम करने वाले कर्मचारी रहते थे। लेकिन मकान की हालत को देखकर एसईसीएल ने अपने कर्मचारियों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करवा दिया ताकि कोई जननियत ना हो लेकिन खाली पड़े मंडरा मकानों में लोग कब्जा करके रहने लगे।

मकान की हालत इतनी खराब थी कि मकान कभी भी गिर सकते थे।



पक्की अंदर में ही थीं सो रही थीं। उसके बाद साढ़े नौ के आसपास यह मकान गिर गया। कुछ लोग ये घटना सुनकर आए थे। बाल तो रहे थे कहीं और मकान देने के लिए। लेकिन अभी तक कोई भी खबर हम तक नहीं आई है।

वहां कुसासी सब एरिया मेनेजर ने बताया कि जो लोग मकानों में रहे रहे हैं वो कब्जा किए हुए हैं किंतु बार इनको नियमित दिया जा चुका है लेकिन ये लोग खाली नहीं कर रहे हैं।

करायिया सब एरिया मैनेजर अरुण सिंह चौहान ने कहा अब इस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए मकान को बाहर निकालकर देखें तो मकान समाने से बारिश की वजह से गिर रहा है तो फिर एक साहब आए और कर्मचारी को अपने पक्की अंदर कर दिया।

बारिश के कारण अब जर्जर मकानों में रहना मुश्किल है और तो और अब ये मकान गिरने लगे हैं ऐसे में लोगों को चाहिए कि वो खुद से कब्जा किया हुआ मकान छोड़ दें ताकि कोई नुकसान ना हो।

रहवासी शांति बाई ने कहा पहले से ही मकान जर्जर था इस वजह से टूट गया में सुबह 7 बजे नहा रहा था मिरी है।

## मनरेगा में अनियमितता को लेकर महिला सरपंच बर्खास्त, सचिव निलंबित

कोरिया। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर, सोनाहत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना में लापता आयी और अनियमितताओं के मामलों में सख्त कदम उठाए गए हैं।

जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुषोग चतुर्वेदी ने बताया कि कैलाशपुर में हुई अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच रूपवती चेरवा को पद से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत



किया गया था और इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। लोकिंग गुणवत्ताहीन नाली निर्माण की शिकायत के बाद जिला स्तरीय टीम से अविलंब जांच कराई गई और गुणवत्ता हीन कार्य को तोड़ने के अदेश जारी कर दिए गए थे। साथ ही जांच

में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश साहू को तत्काल निलंबित कर दिया गया।

उन्होंने बताया कि नाली निर्माण के कार्य की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक (असिंस्टेंट ट्रैकिंगियन) सुरक्षा कुर्स को बर्खास्त कराते हुए अनुवादीय अधिकारी ग्रामीण यात्रियों के निलंबित कार्रवाई हेतु विहित प्राधिकारी भरतपुर को आशासन दिया गया।

जिसके बाद चंदन संजय त्रिपाठी ने लोकिंग गुणवत्ताहीन नाली निर्माण के प्रस्तावित कर दी गई है। बहीं इस कार्य में मरमिटियल सप्लाई करने वाले लोगों में दर्ज कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, निर्माण एजेंसी के तौर पर सरपंच को भी अनियमितता का दोषी पाया गया। जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम की आदेश जारी किया गया है।

डॉ. अशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि किसी भी योजना या निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाए। दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी निर्माण एजेंसियों को पहुंचने से फैलते ही पर्याप्त रूप से बदलते हुए अनुसार कार्यालय बर्खास्त करने की आदेश जारी किया गया।

सुसंगत धाराओं के तहत सरपंच पर कार्रवाई हेतु विहित प्राधिकारी एसडीएम सोनहत को पत्र भेजा गया। एसडीएम सोनहत राकेश कुमार साहू ने प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित से जबाब मांगा, तो सरपंच ने मामले में अनीं लापतवारी स्वीकार की, जिसके बाद पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1 के तहत दर से बर्खास्त करने का आदेश दिया गया।

स्थानीय लोगों ने इस बारिश में फिर घर खुस रहे नाले के पानी से तंग आकर अपने पार्षद के बाजार में नाराजगी जताई। जिसके बाद पार्षद चंदन सिंह धूख खुद इस नाले को साफ करने तक रह गए। इस दौरान ट्रैकर चार्ड का खाली पानी वाले लोगों के बीच बढ़ा गया और जनप्रतिनिधि ने दर्ज कर दिया है।

नाला साफ करने के बीचियों को लेकर पार्षद चंदन सिंह धूख खुद इस नाले को साफ करने तक रह गए। इस दौरान ट्रैकर चार्ड का खाली पानी वाले लोगों के बीच बढ़ा गया और जनप्रतिनिधि ने दर्ज कर दिया है।

नाला का खाली पानी वाले लोगों के बीच बढ़ा गया और जनप्रतिनिधि ने दर्ज कर दिया है। इस दौरान ट्रैकर चार्ड का खाली पानी वाले लोगों के बीच बढ़ा गया और जनप्रतिनिधि ने दर्ज कर दिया है।

स्थानीय लोगों ने इस बारिश में फिर घर खुस रहे नाले के पानी से तंग आकर अपने पार्षद के बाजार में नाराजगी जताई। जिसके बाद पार्षद चंदन सिंह धूख खुद इस नाले को साफ करने तक रह गए। इस दौरान ट्रैकर चार्ड का खाली पानी वाले लोगों के बीच बढ़ा गया और जनप्रतिनिधि ने दर्ज क



## आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था का अहम फैसला

ललित गर्ग

सुप्रीम कोर्ट ने अनुशूलित जातियों-जनजातियों यानी एससी-एसटी समृद्धय में आरक्षण के भीतर आरक्षण का सातांत्र साफ करके आरक्षण की व्यवस्था को ताकिक, न्यायपर्वत, समानान्तरापूर्ण बातों का साहस्रनीय कार्य किया है। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से मुक्ति की दिशाएं उड़ान्ति हो रही है। यह फैसला कई बिल्कुल अलग-अलग बजहों से अहम माना जा रहा है। क्योंकि बड़ा सच यह है कि ओबीसी समाज की तरह एससी-एसटी समृद्धय में भी कई जातियों की अधिक-समाजिक स्थिति न केवल कहीं कमज़ोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्ग की अन्य जातियों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कई इन्कास बढ़ते कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समृद्धय में कई जातियों एसी हैं, जिन्हें आरक्षण का न के बराबर लाभ मिला है। ऐसा इसीलिए हुआ है, क्योंकि आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी समृद्धय एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक वस्तुस्थिति नहीं थी, इस विसंगति को सुधार कर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायसंगत उत्तर किया है। अब राज्यों एवं केन्द्र सरकार को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे। इस तर्जे फैसले के बाद अनेक राज्यों में जातिगत गणना की होड़ शुरू हो सकती है एवं राजनीति दलों में आरक्षण का मुद्दा नये आक्रामक रूप में उत्पन्न सकता है। लेकिन एक आदर्श समता, समानता एवं संतुलनमूलक समाज-व्यवस्था को निर्मित करने की दिशा में कोटे का यह फैसला अहम है। संविधान पीठ के अनुसार, आरक्षण का मुख्य मकसद आर्थिक और सामाजिक समानता लाना है, पर इसके लिए शहर और गांव की सामाजिक हकीकत में अंतर के साथ अर्थिक पहुंचों को व्याप्त करना चाही रही है। एससी समृद्धय में भी दो बड़े तर्क हैं। जिनमें गहरा फैसला है और बड़े बकोलों के बच्चों की तुलना में मैला ढाने वाले बच्चों से करना कैसे न्यायसंतान हो सकता है? इसलिए पीछे रह गई जातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए ओबीसी की तर्ज पर एससी में भी कोटे के भीतर कोटे को न्यायाधीयों ने संविधानिक माना है। आज के समय में इस फैसले की जरूरत को समझा जा सकता है, लेकिन समस्या यह है कि देश में 140 करोड़ जनसंख्या को सामाजिक स्थिति और आर्थिक हैंस्थिति के आंकड़े स्पष्ट तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की मांग बढ़ने से सामाजिक विवेष बढ़ सकता है। क्या इस फैसले में राजनीति है? अब जौजावां में जौजावां बढ़ सकता है। अब अनेक मुद्दों जैसे रोजगार, कौशिक, अनिवार्य, नीति, ईटरीशन, नकल और शिक्षा पर बहस के बीच इस फैसले की कीमी लेयर की मुख्य पिरवर मरकार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपर्योगी करने का अधिकार राज्य सरकारों के भीतर कोटे के अधिकार करने की आशंका भी है, क्योंकि सत्तारूप राजनीतिक दल वोट बैंक बनाने के लालच में एससी-एसटी जातियों का मनमाना उपर्योगी प्रमाण का दुरुपयोग होने की भी दो बड़े तर्क हैं। राजनीतिक दलों को यह समझा होगा कि आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है, न कि वोट बैंक की राजनीति का हथियार। वैसे भी अब तक देश में आरक्षण वोट बैंक को सुन्दर बनाने का हथियार बना रहा है और राजनीतिक दल इसका अनुचित लाभ उठाते हुए अपेक्षित समृद्धयों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचने दिया।

## बांगलादेश के हालात से बहुत संतर्क रहना होगा

### अशोक मध्यम

बांगलादेश में महीनों से सुलग रही आरक्षण और सरकार विरोधी निर्गारी सोमवार को भीषण आग के रूप में फूटी। 300 लोगों की मौत के बाद सेना भी ऊपर भोड़ को संभाल नहीं पाई। न्यायालय के इस तरह के फैसले मिसाल ही नहीं, मशाल बन कर सामने आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र की विसंगतियों एवं विडम्बनाओं से मुक्ति की दिशाएं उड़ान्ति हो रही है। यह फैसला कई बिल्कुल अलग-अलग बजहों से अहम माना जा रहा है। क्योंकि बड़ा सच यह है कि ओबीसी समाज की अधिक-समाजिक स्थिति न केवल कहीं कमज़ोर है, बल्कि उन्हें अपने ही वर्गों से भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई है, जिससे कई इन्कास बढ़ते कर सकता। यह भी एक तथ्य है कि एससी-एसटी समृद्धय में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी आरक्षण एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एससी-एसटी समृद्धय में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी आरक्षण एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एससी-एसटी आरक्षण में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी आरक्षण एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एससी-एसटी आरक्षण में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी आरक्षण एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एससी-एसटी आरक्षण में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत बताया, वहीं चार न्यायालीयों ने इन वर्गों के आरक्षण में उसी तरह कीमी लेयर की व्यवस्था लागू करने की भी आवश्यकता जारी है, जैसी ओबीसी आशक्ति में है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से 2004 के पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पल दिया, जिसमें कहा गया था कि एससी-एसटी आरक्षण एक जैसा है और उनकी विभिन्न जातियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। यह एक तथ्य है कि एससी-एसटी आरक्षण में कई जातियों एवं आरक्षण का अधिक लाभ इन वर्गों की अपेक्षाकृत समर्थ जातियों उत्तरी है। यही स्थिति ओबीसी में है। कई अति पिछड़ी जातियों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। राजनीतिक एवं संवैधानिक विसंगतियों के कारण ऐसा होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय संविधान पीठ ने जहां छह-एक के बहुमत से एससी-एसटी आरक्षण में कोटे के भीतर कोटे को संविधानसम्मत





## केजरीवाल की 20 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

**नईदिल्ली।** राज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम नईदिल्ली के जरिए पेश किया गया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आवकारी नीति घोटाले से उपरे भ्रातावार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्याए (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति नीता बसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफतारी बिना किसी उचित कारण के की गई। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के ग्रामीण संयोजक की जमानत याचिका को अधिनियम अदानथ अदानथ मानी की दृष्टि कर दिया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुनिश्चित रख लिया था।

**नईदिल्ली।** राज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम नईदिल्ली के जरिए पेश किया गया। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कथित आवकारी नीति घोटाले से उपरे भ्रातावार के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्याए (सीबीआई) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफतारी को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति नीता बसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफतारी बिना किसी उचित कारण के की गई। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के ग्रामीण संयोजक की जमानत याचिका को अधिनियम अदानथ अदानथ मानी की दृष्टि कर दिया। और उन्हें राहत के लिए अधिनियम अदानथ अदानथ मानी की दृष्टि कर दिया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुनिश्चित रख लिया था।

## एनसीपी के दोनों गुटों में सम्मान और स्वाभिमान की जंग

**मंडई।** राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदवंदे पवार) ने बुधवार की घोषणा की कि वह महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले 9 अगस्त से शिव स्वराज्य यात्रा शुरू करेगी। यह घोषणा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अंजीत पवार के नेतृत्व वाले राजनीति गुट द्वारा 8 अगस्त से राजनीति अभियान के मामले में केंद्रीय केजरीवाल की गिरफतारी को बरकरार रखा था। न्यायमूर्ति नीता बसल कृष्णा ने केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफतारी बिना किसी उचित कारण के की गई। उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के ग्रामीण संयोजक की जमानत याचिका को अधिनियम अदानथ अदानथ मानी की दृष्टि कर दिया। और उन्हें राहत के लिए अधिनियम अदानथ अदानथ मानी की दृष्टि कर दिया। उच्च न्यायालय ने सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफतारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को अपना आदेश सुनिश्चित रख लिया था।

## जम्मू-कश्मीर चुनाव से पहले उमर अब्दुल्ला ने फिर उगली आग

**श्रीनगर।** देश ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने की पांचवां वर्षांगत 5 अगस्त 2024 को बढ़े धूमधाम से मनाई। लेकिन यह खुशी उमर अब्दुल्ला से देखी नहीं गयी। इसलिए वह एक बार पिर 370 हटाये जाने के खिलाफ झंगा बुलंद कर मैदान में उत्तर गये हैं। नेशनल कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रवाधानों तक दोनों गुटों में अपने पारंपरिक मतदाताओं तक पहुंचने के इसे से नारों के साथ एक प्रोमो जारी किया। एनसीपी नासिक से अपनी रैली शुरू करेगी, वहाँ शरद पवार का गुट जुनार के शिवनवेरी किरे से अपनी रैली शुरू करेगा, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जम्मतान के रूप में जाना जाता है। इससे एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सम्मान और स्वाभिमान के बीच टकराव जम्पू हो गया है। अंजीत नाया और खासियत प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एंटी रोमियो स्काब टीम को पुनः कियाशील करें। जनपद स्तर पर स्थित बिल्कुल विपरीत है। उहाँने कहा, मैं यह पूछने के लिए मजबूर हूं कि लोगों को पिछले पांच वर्षों में क्या मिला है। कठुआ जिले के नगरों में एक रैली को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने उत्तर गती, वे (अनुच्छेद 370 हटाने के बाद) खेमे ने राज्य में एनडीबी के नेतृत्व लोकप्रिय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विकासात्मक राजनीति की तर्ज पर अपना अभियान बनाया है।

## भू-माफिया के खिलाफ कर्ट कड़ी कार्रवाई : सीएम योगी

**अंबेडकरनगर/लखनऊ।** दो दिवसीय अयोध्या दौरे के बाद एक दिवसीय दौरे पर अंबेडकर नाम पहुंचे सीएम योगी ने जनपद में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में कहा कि जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची थांसों में लगाई जाए। साथ ही नकल, पशु खनन और भू-माफिया आदि प्रभावी कार्रवाई के जनपद में भयुक बातवार बनाए रखें, महिलाओं की सुरक्षा पर शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। इसके लिए एंटी रोमियो स्काब टीम को पुनः कियाशील करें। जनपद स्तरीय अधिकारी जनसुनवाई-संवाद सुनिश्चित करें। आईजीआरएस एवं मुख्यमंत्री हैल्पलाइन पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का सम्पादन एवं शीर्ष प्राथमिकता दी जाए। उहाँने कहा कि विकास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए, ताकि उसकी बैबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंगरेजी आता है। बिहार के कानून मंत्री निति नवीन ने बृहस्पति विभाग को कहा कि विधि विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी अपराधियों को पुनः कियाशील करें।

## अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य : नीतीश पट्टना।

**बिहार सरकार** ने राज्य के सभी कानूनों के जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए। राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी 'पंजीकृत मंदिरों/मठों' से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही नकल, पशु खनन और भू-माफिया आदि प्रभावी कार्रवाई के जनपद में भयुक बातवार बनाए रखें। अंबेडकर नाम पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंगरेजी आता है। बिहार के कानून मंत्री निति नवीन ने बृहस्पति विभाग को कहा कि विधि विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी अपराधियों को पुनः कियाशील करें।

## विपक्ष के आरोपों से आहत हुए सभापति, कुर्सी छोड़ चले गए

## धनखड़ ने कहा- यह सक्षम नहीं पा रहा, विनेश फोगाट मामले पर राज्यसभा में हंगामा

**नईदिल्ली।** देश के उपराष्ट्रीय और संसद के उच्च सदन के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज होकर कुर्सी से उत्तर चले गए। वे विपक्षी दलों के नेता आंदोलनी नारेबाजी से नाराज हैं। उहाँने कहा कि आज यह जो हुआ, वह ठोक नहीं है। यह मुझे नहीं, बल्कि सभापति के पद को चुनौती दी जा रही है। विपक्ष के नेता मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहा है।

**विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी** सभापति अपनी पीड़ा बढ़ करते रहे। उहाँने कहा, हमने सदन के अंदर अभी सबसे खबर विपक्ष की दोहरी थी। हमने आपातकाल के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी सभापति के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले गए।** इस पर खरगों से पूछा आप क्या कहा जाता है। यह सबसे खबर विपक्ष के नेता संसद संघर्ष के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले गए।** यह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट की दोहरी थी। यह सबसे खबर विपक्ष के नेता संसद संघर्ष के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले गए।** यह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट की दोहरी थी। यह सबसे खबर विपक्ष के नेता संसद संघर्ष के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले गए।** यह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट की दोहरी थी। यह सबसे खबर विपक्ष के नेता संसद संघर्ष के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले गए।** यह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट की दोहरी थी। यह सबसे खबर विपक्ष के नेता संसद संघर्ष के दौरान अपने संविधान का सबसे काला दौर देखा था। हमें पता है यह किसी विपक्षी दलों ने सदन से बाहर चले गए। उहाँने कहा, वह नहीं है। विपक्ष के बॉकआउट के बाद भी उत्तर चले गए।

**उत्तर चले ग**

